

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज०)

मुकदमा किस्म मुकदमा रज्जु दिनांक निर्णय दिनांक
92/2019 धारा 91 एल.आर.एक्ट 27.09.19 26.11.2019

उनवान सरकार बनाम दयाल शरण पुत्र शिवचरण निवासी सिंघाना जिला झुन्झुनुं (राज०)

:- निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० बुहाना की ओर से तहसीलदार बुहाना को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि स्टेट हाइवे 13 स्थान सिंघाना में स्टेट हाइवे 13 व एन०एच 11 मार्ग पर सा०नि०वि० की सीमा में अतिक्रमण दयाल शरण पुत्र शिवचरण निवासी सिंघाना ने 5-10 मी० की दूरी पर टैले लगाकर (स्थायी रूप से) अतिक्रमण कर रखा है सहायक अभियन्ता ने भी यह अभिकथन किया है कि इन सभी टैलों वालों का मौखिक रूप से अतिक्रमण हटाने को कहने के बाद भी आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

तहसीलदार बुहाना द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/1272 दिनांक 20.08.2019 को मुल प्रकरण नायब तहसीलदार सिंघाना को अतिक्रमीके विरुद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु भिजवाया गया।

प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अतिक्रमी दयाल शरण पुत्र शिवचरण निवासी सिंघाना को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट सहायक अभियन्ता सा०नि० वि० बुहाना तथा जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत विवादित अतिक्रमण की भूमि पर प्रभावहीन व सारहीन साबित होते हैं। अतः यह न्यायालय अतिक्रमी दयाल शरण पुत्र शिवचरण निवासी सिंघाना ने एन. एच. 11 एवं सिंघाना सर्किल पर 5-10 मी० की दूरी पर (स्थायी रूप से) टैले का अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश दिए जाते हैं।

सहायक अभियन्ता सा०नि.वि० बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर रहे।



उप तहसीलदार सिंघाना